

**न्यायालय:— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—IX, औरंगाबाद।**

**पीठासीन पदाधिकारी— श्री पंकज पाण्डेय**  
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या:—1750 / 2026**

**दाउदनगर थाना काण्ड संख्या:— 393 / 2026**

**हीरामणी देवी व अन्य बनाम् बिहार सरकार**

**14.08.2026**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के आवेदकगण हीरामणी देवी पति— भूपेन्द्र शर्मा, लव कुमार पुत्र—भूपेन्द्र शर्मा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया कि प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता को आवेदकगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका नहीं है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं, अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

सुना प्रार्थना स्वीकृत किया गया। आवेदकगण को प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है, तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को आवेदकगण की ओर से वापस लेने के कारण खारिज करते हुए निष्पादित किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्।  
औरंगाबाद।